कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

फोन न0. 05463-235020, फैक्स नं0-05463-235194,
वेबसाइट–www.gmcazamgarh.com

सूचना

संख्या– /रा0मे0का0आ0/2019 दिनॉक 30 जुलाई, 2019,

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–3225/71–1–2014–जी0–560/2012 दिनांक 02 जून 2014 एवं उक्त शासनादेश के कम में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश संख्या–2589/71–1–2016–जी0–560/2012 दिनांक 20/12/2016 के अनुपालन में एम0सी0आई0 मानकों की पूर्ति हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में रिक्त आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य/प्रवक्ता एवं शासकीय पत्र संख्या–250/2018/4067/71–1–2017–जी–63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक– 20 सितम्बर, 2018 पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ के पृष्ठांकन संख्या–एम0ई0–2/2018/1471–72 लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के कम में राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्यों से आचार्य पद हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन वॉक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-interview) पद्धति के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से चयन किया जाना है। संविदा पदों पर अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय के द्वारा की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 06/08/2019 (मंगलवार) **onwards**, प्रधानाचार्य कार्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के प्रशासनिक भवन में कालेज काउन्सिल हाल में प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की मूल प्रति एवं (स्वप्रमाणित) छायाप्रतियों का दो सेट बायोडाटा सहित उपस्थित होंगे। यदि अभ्यर्थी पूर्व में कार्यरत हों तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल, आजमगढ़ में चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति

क्रम सं0	विशिष्टता का नाम	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़		
		आचार्य	सह–आचार्य	सहायक आचार्य
1	बायोकेमेस्ट्री	0	1	0
2	माइक्रोबायोलॉजी	1	1	0
3	फोरेंसिक मेडिसिन	1	0	0
4	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	1	0	0
5	मानसिक रोग विभाग	0	1	0
6	सर्जरी विभाग	0	1	0
7	स्किन एण्ड वी0डी0	0	1	0
8	आब्स एण्ड गायनी	0	1	0
9	रेडियोडायग्नोसिस	1	1	0
10	एनेस्थीसिया	0	0	1
	टोटल	**4**	**7**	1

नोट–पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है एवं नियमानुसार आरक्षण लागू होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् है–

Scanned by CamScanner

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0–90,000/सह–आचार्यों का नियत वेतन रू0–80,000/– तथा शासकीय पत्र संख्या–2538/71–1–2018–जी0–21/2009 एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पृष्ठांकन संख्या–एम0ई0–2/2018/1028–29 में आंशिक संशोधन करते हुये सहायक आचार्यों का नियत वेतन रू0–60,000/ प्रतिमाह है तथा शासकीय पत्र संख्या–250/2018/4067/71–1–2017–जी–63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक– 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु आचार्य का निर्गत शर्तों अनुसार नियत वेतन रू0–2,20,000/–प्रतिमाह दिया जायेगा, जो महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट प्रदर्शित है। आवेदक को **Medical Council of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999** द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
3. एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक–आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित के अनुसार होगी।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रेक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राईवेट प्रेक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रेक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राईवेट प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षक को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे एसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकी है।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुवन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हं निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
18. उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रकिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रकिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।
19. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
20. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

नोट– साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

संख्याः 646 /तद्दिनांक 2019,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़।
5. प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ/आगरा/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/सहारनपुर/बदायूं।
6. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त सदस्य चयन समिति, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
8. राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

Scanned by CamScanner